राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

ई–मेल : **purchasersgsm@gmail.com**

ई–बिड आमंत्रण सूचना

विभिन्न मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु दर संविदा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड कमांक–आरएसजीएसएम/मुख्या./मीठा पानी आपूर्ति/खुली बिड/2018–19/1 दिनांक 30.04.2018

बिड प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय	:	दिनांक 15.05.2018 को सायं 6.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 15.05.2018 को सायं 6.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 16.05.2018 को दोपहर 03.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 590 मात्र (जीएसटी सहित)
बिड प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड कमांक–आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मीठा पानी आपूर्ति/खुली बिड/2018–19/1

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन विभिन्न मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

कार्य	अनुमानित व्यय	बिड प्रपत्र शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि राशि	दर वैधता अवधि	दिनांक /समय जिस तक बिड अपलोड करनी है	बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति के लिये बिड	रू. 1.60 लाख से 10.00 लाख वार्षिक (कृपया, देखें एनेक्सर ''एफ'')	रू. 590 (जीएसटी सहित) मात्र रू. 1000 मात्र	अनुमानित व्यय की 2 प्रतिशत (कृपया, देखें एनेक्सर एफ)	90 दिवस	दिनांक 15.05.2018 सायंकाल 6.00 बजे तक	दिनांक 16.05.2018 दोपहर 03. 00 बजेमुख्यालय पर

2. बिड उदयपुर, चित्तौडगढ, भीलवाड़ा, कोटा, बांरा, बून्दी, मण्डोर, रानी, सिरोही, सीकर एवं भरतपुर मदिरालयों के लिये आमंत्रित की गई हैं।
3. बिड सभी मदिरालयों के लिये इकजाई आमंत्रित की गई है। बिड में दर संबंधित मदिरालय के लिये देनी होंगी। कोई भी बिडर एक या एक से अधिक या सभी मदिरालयों के लिये दर प्रस्तुत (quote) कर सकता है।
4. यदि बिडर किसी एक मदिरालय के लिये ही इच्छुक है तो बोली प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। व सफल बिडर घोषित होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। यदि बिडर एक से अधिक मदिरालयों या सभी मदिरालयों के लिये इच्छुक है तो उसी अनुसार बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि तदनुसार देनी होगी।
5. दरें प्रति हजार लीटर के हिसाब से देनी हैं। अर्थात मूल्य दर की ईकाई प्रति हजार लीटर होगी। परिवहन व्ययों को शामिल करते हुए एफओआर दरें देनी है।
6. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान के कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (परिवार के सदस्य के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

7. बिड प्रपत्र वेबसाइट http://rajexcise.gov.in वत http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. बिड प्रपत्र का मूल्य रू. 590 (जीएसटी सहित)एवं बोली प्रतिभूति राशि राशि RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर चैक/डीडी द्वारा दिनांक 15.05.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक भौतिक रूप में जमा कराना आवश्यक है। प्रोसेस फीस की राशि रू. 1000 MD, RISL, payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर चैक/डीडी द्वारा दिनांक 15.05.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक भौतिक रूप में जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में बिड डाउनलोड नहीं की जायेगी।
9. बोली प्रतिभूति राशि राशि,बिड प्रपत्र शुल्क व प्रोसेस फीस दिनांक 15.05.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक आवश्यक रूप से कंपनी मुख्यालय पर क्रय शाखा में जमा कराना होगा। इसके अभाव में बिड निरस्त की जावेगी।
10. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।
11. निर्धारित तिथि एवं समय अपलोड की गई बिडों को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।
12. बिडर की तकनीकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचनाई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।
13. संबंधित सफल बिडर को 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा, व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
14. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।
15. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
17. ***कम्पनी मुख्यालय में ऑफलाईन केवल बिड शुल्क, बिड प्रासेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं बिडर द्वारा एनेक्सर "B" अनुसार बिड की समस्त शर्तें व नियम की सहमति हेतु 100/– का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र ही प्रस्तुत किये जावें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें। साथ ही बिडर यह भी सुनिश्चित करें कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईटwww.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।***

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	
परिचय	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मीठा पानी आपूर्ति / खुली बिड / 2018–19 / 1
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति कार्य
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 590 (जीएसटी सहित)का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : purchasersgsm@gmail.com
प्री बिड बैठक	नहीं
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है–	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'एफ' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	बिडदता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.raj.nic.inपर देखा जा सकता है एवं वेबसाइटeproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 15.05.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइटeproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 16.05.2018 दोपहर 03.00 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संचालक मंडल, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लि0
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैं / हम —————————————————(व्यक्ति / फर्म / कंपनी आदि) बहैसियत ———————————————(पदनाम / प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी / हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति / फर्म / कंपनी का नाम ————————————————————

————————————————————

————————————————————

कार्यालय पता ————————————————————

————————————————————

————————————————————

फैक्ट्री का पता ————————————————————

————————————————————

————————————————————

दूरभाष संख्या कार्यालय ————————————————————

निवास ————————————————————

फैक्ट्री ————————————————————

फैक्स ————————————————————

ई–मेल ————————————————————

मोबाईल————————————————————

वैधानिक विवरणः–
फर्म / कंपनी / एक्ट में पंजीयन ————————————————————

जीएसटी पंजीयन ————————————————————

आयकर विभाग पंजीयन(पैन) ————————————————————

श्रम विभाग अनुज्ञा पत्र संदर्भ ————————————————————

पीएफ कोड ————————————————————

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ ——————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ——————————————————

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि ——————————————————

बिडर का बैंक का नाम ——————————————————

बैंक खाता संख्या ——————————————————

बैंक आरटीजीएस/नेफ्ट न0 ——————————————————

हस्ताक्षर ——————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ——————————————————

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited
4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan,Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 006 (Rajasthan)

बिडर द्वारा निम्नलिखित राशि आरएसजीएसएम कार्यालय, नेहरू सहकार भवन में नियमानुसार जमा करानी होगीः–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	बिड शुल्क	रू. 590 (जीएसटी सहित)	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Payble Jaipur
2	बोली प्रतिभूति राशि ✱	2% अनुमानित मूल्य का	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Payble Jaipur
3	ई–बिड प्रक्रिया शुल्क	1000 /-	डिमाण्ड ड्राफ्ट	MD, RISL, Payble Jaipur

✱बोली प्रतिभूति राशि 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रूपये 10.00 लाख से अधिक धनराशि ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी द्वारा भी जमा कराई जा सकती है। उपरोक्त राशि बिडर द्वारा आरएसजीएसएम, मुख्यालय, जयपुर में दिनांक **15.05.2018** को **सांय 06.00** बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

2. बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. ई–बिड के लिये बिडर हेतु निर्देश

अ. बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडर्स के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ब. बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

द. कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

य. बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

ल. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में भौतिक रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक बिडर के लिये ई–बिड प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2018–19में विभिन्न मदिरालयों पर

मीठा पानी आपूर्ति हेतु बिड के संबंध में विशेष शर्तें

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में '' राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 '' एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. यह बिडवित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं।
2. कार्य का विवरण :–संबंधित मदिरालय पर पानी की सप्लाई करनी होगी, जो कि मदिरा निर्माण हेतु उपयुक्त होना आवश्यक है अन्यथा सप्लाई स्वीकार नहीं की जावेगी तथा बिड/कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।
3. प्रबन्धक/उप प्रबन्धक मदिरालय द्वारा जितनी मात्रा में पानी की मांग की जावे उसकी व्यवस्था दो घंटे में करनी होगी तथा प्रतिदिन प्रातः बिडर को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को मदिरालय पर भिजवाकर पानी की मांग ज्ञात कर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।
4. सफल बिडर द्वारा समय पर पानी के टैंकर उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर संस्थान द्वारा बाजार से पानी मंगवाया जा सकेगा तथा परिवहन राशि सहित अधिक भुगतान राशि की वसूली सफल बिडर के भुगतान बिलों से की जावेगी।
5. बिडर द्वारा बिड प्रपत्र के साथ एनेक्सर ''एफ'' में वर्णितानुसार बिड सिक्योरिटी (बोली प्रतिभूति राशि) की राशि बैंकर चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो ''राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड'' के नाम देय हो जमा कराया जाना है। सफल बिडर को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन सिक्योरिटी (जमानत राशि) के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में बिड के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात 60 दिवस में लौटायी जायेगी।
6. सभी मदिरालयों हेतु मीठे पानी पर कुल अनुमानित व्यय रूपये 41.00 लाख धनराशि का आकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि के आधार पर सम्पूर्ण बिड मात्रा पर बोली प्रतिभूति राशिरूपये 82,000 बनती है। बिडर द्वारा ऑफर मात्रा के मूल्य की 2 प्रतिशत अथवा बिड शर्तो में वर्णित अनुसार बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि बिडर द्वारा बिड की बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई जावें। उक्तानुसार जमा बोली प्रतिभूति राशि के आधार पर बिड के ऑन–लाईन स्वीकार नही होने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि के कॉलम में रूपये 82,000 वर्णित करें तथा उक्तानुसार गणना करते हुये बिड शर्तो में वर्णित अनुसार वास्तविक बोली प्रतिभूति राशि के डी.डी. की स्केन प्रति बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
7. पानी का टैंकर खड़ा रहने पर किसी भी प्रकार का हाल्टेज नहीं दिया जावेगा।
8. पानी सप्लाई कार्य के अनुबन्ध के क्रियान्वयन में ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/आयकर/माल एवं सेवाकर एवं अन्य कोई कर यदि लगता है तो उसके भुगतान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बिडर का होगा।
9. प्रत्येक पानी के टेंकर को गोदाम पर निर्धारित मात्रा में पानी सहित पहुँचाने की जिम्मेदारी होगी तथा कम मात्रा में पानी टेंकर में पाये जाने पर नियमानुसार कटौती आपके बिलों से की जावेगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

10. मीठा पानी संबंधित मदिरालय पर सप्लाई करना होगा जो कि मदिरा निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त हो। मदिरा निर्माण में अनुपयुक्त पानी की सप्लाई किये जाने की स्थिति में होने वाले नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।
11. दरें प्रति हजार लीटर के हिसाब से देनी है। अर्थात मूल्य दर की ईकाई प्रति हजार लीटर होगी। परिवहन व्ययों को शामिल करते हुये एफओआर दरें देनी हैं।
12. अनुबन्ध की अवधि में कम्पनी द्वारा कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया भी जा सकता है। नियमित सेवायें नहीं देने, अवैध एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर 3 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है एवं शेष अवधि में कार्य अन्य स्त्रोतों से आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बिडरकी होगी तथा इसमें होने वाली हानि की वसूली सफल बिडर से की जायेगी।
13. विवाद की स्थिति में मामला संस्थान के प्रभारी संचालक द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। एकल पंच पर होने वाले व्यय को दोनों पक्षों के द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में जयपुर अवस्थित न्यायालय ही मान्य होगा।
15. ई–तकनीकी बिड ई–बिड का अंग होगा। इसमें सफल बिडर की ही वित्तीय ई–बिड खोली जावेगी।
16. सफल बिडर द्वारा मीठा पानी आपूर्ति हेतु मना कर दिये जाने पर जमा कार्य सम्पादन धरोहर राशि सहित अन्य जमा राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
17. सफल बिडर को कार्यादेश लेते समय नियमानुसार आदेशित मात्रा की कुल मूल्य राशि का 0.25 प्रतिशत या रू. 15000/– जो भी अधिक हो, राशि का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
18. अनुबंध अवधि में अनुमोदित दरों एवं विद्यमान शर्तों पर तीन माह तक समयावधि वृद्धि की जा सकेगी।
19. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर बिड फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
20. अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आवश्यक होने पर 2012 आरटीपीपी एक्ट, 2013 व आरटीपीपी नियम, 2013 के अनुसार शर्तें लागू होंगी।
21. सामान्य शर्त एवं विशेष शर्त में यदि किसी विषय या बिंदु पर विरोधाभास हो तो विशेष शर्त ही मान्य होगी।
22. बिड प्रपत्र शुल्क, ई–बिड प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि तथारू. 100 मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बिड शर्तों पर सहमति, एनेक्सर "B" के अनुसार शपथ–पत्र बिड दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इनकी हार्ड कॉपी तकनीकी बिड अपलोड करने की दिनांक एवं निर्धारित समय तक ही कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त प्रपत्रो के अभाव में बिड पर विचार नही किया जावेंगा।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिड को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति(डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।
4. दरें गन्तव्य स्थान तकएफ0ओ0आर0 उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु, चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एंव स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
5. विधिमान्यता :–बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
6. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. बिडर अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
8. नमूने :– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बिड के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी0आर0 एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में बिडर के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

9. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बिडर का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में समूना है, आदि लिखे जायेंगे।

10. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बिडर द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। कंपनी किसी भी रूप में उन्हे लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें कंपनी द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11. असफल बिडर द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

12. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।

13. नमूने निकालना :– परीक्षणों के मामले में , बिडर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा । उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं /या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा ।

14. परीक्षण प्रभार :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बिडर अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

15. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बिडर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

16. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।

17. (1) सुपुर्दगी अवधि :–बिडर, जिसकी बिड स्वीकार की जाए, ––– द्वारा प्रदाय आदेश कराने की तारीख से –––– की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(2) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि बिड सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बिडर अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी बिड में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे परन्तु, शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए होंगे। यदि बिडर, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित बिड द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बिडर से वसूली की जाएगी ।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बिड प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बिडर किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

18. बोली प्रतिभूति राशि :– (क) बिड के साथ एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(क) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :– असफल बिडर की बोली प्रतिभूति राशि बिड को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

(ख) बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, (विलोपित) बिड आमत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बिड के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।)

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बिड के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति को नयी बिड के लिए बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूतिके प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बिड को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

19. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :–बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब बिडरबिड खोलने के बाद किन्तु, बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

20. (1) करार एंव कार्य सम्पादन राशि :– (1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप एस. आर. 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बिडएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) कार्य सम्पादन राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) कार्य सम्पादन राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति ।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्प्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा ।

(5) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बिडर के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(6) (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बोली प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बिड के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर कार्य सम्पादन प्रतिभूतिका भुगतान करेंगी।

(2) केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(3) कार्य सम्पादन राशि का समपहरण :– कार्य सम्पादन राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–
(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
(ख) जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।
(ग) कार्य सम्पादन राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

21. बीमा :– (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दर्शा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बिडर द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(2) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

22. भुगतान :–
(1)जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।
(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

23. (1) बिड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बिडर केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
(2) परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडर प्रदाय करने में असफल रहा है :–
(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये –2.5 प्रतिशत + 18 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु, विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए — 5 प्रतिशत + 18 %GST
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु, विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए — 7.5 प्रतिशत + 18 %GST
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए — 10 प्रतिशत + 18 %GST
(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10%+18 %GST होगी।
(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु, वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बिडर के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

24. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

25. बिडर को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहिए।

26. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

27. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

28. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
    (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    (3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
    (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

29. यदि संविदा के निर्वचन , आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपनी वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

30. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या थ्बडर) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

बिडर के हस्ताक्षर

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तकनीकी बिड चैक लिस्ट

(तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	बिडर का नाम	
2	बिडर का पता 1. कार्यालय पता मय फोन न./मोबाईल न. /ई–मेल	
	2. निवास पता मय फोन न./मोबाईल न./ई–मेल	
3	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है :– 1 व्यक्ति 2 फर्म(साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी(मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
4	पैन नंबर(प्रमाण मे दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न)	
5	बोली प्रतिभूति राशि (बैंकर चैक/डीडी का विवरण)	
6	बिड प्रपत्र राशि (बैंकर चैक/डीडी का विवरण)	
7	ई–बिड प्रक्रिया राशि (बैंकर चैक/डीडी का विवरण)	
8	शर्तों की स्वीकारोक्ति का शपथ पत्र	

नोट :–1 दस्तावेज की प्रतियां स्वंम द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये ।

2 यदि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है तो उसका कारण बताया जावें ।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc l

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

Annexure F

मदिरालय वार मीठा पानी आपूर्ति पर वर्ष 2018–19 में अनुमानित व्यय

क्रम संख्या	मदिरालय	मदिरालय वार वार्षिक अनुमानित व्यय (रु0 में)	बिड सिक्योरिटी 2 प्रतिशत (रु0 में)
1	उदयपुर	₹ 3,30,000	₹ 6,600
2	चित्तौडगढ	₹ 2,40,000	₹ 4,800
3	भीलवाड़ा	₹ 2,50,000	₹ 5,000
4	कोटा	₹ 5,00,000	₹ 10,000
5	बारां	₹ 2,55,000	₹ 5,100
6	बूंदी	₹ 3,25,000	₹ 6,500
7	मण्डोर	₹ 2,06,000	₹ 4,120
8	रानी	₹ 3,84,000	₹ 7,680
9	सिरोही	₹ 4,50,000	₹ 9,000
10	सीकर	₹ 1,60,000	₹ 3,200
11	भरतपुर	₹ 10,00,000	₹ 20,000
	कुल	**₹ 41,00,000**	**₹ 82,000**

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ………………………day of ……………..between …………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the__________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column___________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs.______ in __________.

   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.______________________ dated__________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through______ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in__________ and __________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No.______ dated________ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos.________ received from tenderer and letters nos._______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through________ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.______________________

2.______________________

3.______________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) w.e.f. date of execution of agreement i.e. …………….. to up to one year i.e. ……………..

6. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period
a)	Delay upto onefourth period of the prescribed delivery period.	2½% + 18% GST
b)	Delay exceeding okne fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5% + 18% GST
c)	Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7½% + 18% GST
d)	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10% + 18% GST

Note :

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.	**Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** Dy. General Manager (Purchase)
Date:	Date:
Witness No. 1	Witness No. 1
Witness No.2	Witness No.2

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर